न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रेक) चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 43/2019

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथ राम II, आर.ए.एस

अनवान : भूराखां वगैरा बनाम तहसीलदार चौहटन

अधिवक्ता :–

वकील प्रार्थीगण :– श्री प्रवीण चौधरी

वकील विप्रार्थी :– पैरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी

निर्णय

दिनांक :– 30.01.2023

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सरकार के प्रतिनिधि की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया गया कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 RT Act अनवान भूराखां वगैरा बनाम राजस्थान सरकार का पेश किया गया था जो दिनांक 23.07.2019 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज हो गया था। जिसे रिस्टोर करने के लिए प्रार्थीगण की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का पेश किया गया जिसे स्वीकार कर प्रार्थीगण का वाद पुनः रिस्टोर किया जावे।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी पर विप्रार्थी के प्रतिनिधि ने अपनी अपनी बहस कथन किया कि प्रार्थीगण का वाद भूराखां वगैरा बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौहटन प्रार्थीगण एवं उसके अधिवक्ता द्वारा नियमानुसार न्यायालय में पैरवी नहीं करने से अदम पैरवी अदम हाजरी [illegible] में प्रार्थीगण के पास वाद को अपने पक्ष में करवाने के कोई ठोस आधार नहीं [illegible] ही कोई दस्तावेज है। प्रार्थीगण मय वकील घरेलू कार्यो का बहाना बनाकर न्यायालय [illegible] रहे है, अतः प्रार्थना पत्र सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज किया जा[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थीगण की ओर से बहस में आगे कथन किया कि प्रार्थना पत्र से संबंधित वाद का निस्तारण साक्ष्य सबूतों के आधार पर होना है , वाद रिस्टोर होने पर आवश्यक दस्तावेज

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक)चौहटन

वगैरा पेश कर दिये जायेंगे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण की ओर से एक वाद अन्तर्गत धारा 88,188,209 RT Act अनवान भूराखां वगैरा बनाम राजस्थान सरकार का पेश किया गया था जो दिनांक 23.07.2019 को अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अदम पैरवी अदम हाजरी में खारीज हो गया था। उक्त वाद को पुनः रिस्टोर करवाने के लिए प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी का पेश किया गया जिसमें प्रार्थीगण अधिवक्ता की ओर से अनुपस्थिति का कोई सारभूत कारण पेश नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त विप्रार्थी प्रतिनिधि की बहस के आधार पर संबंधित वाद में प्रार्थीगण को कोई सफलता मिलने की संभावना नहीं है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सीपीसी बिना कोई ठोस आधार एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारीज किया जाता है।

(भागीरथ राम II)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक), चौहटन

सहायक कलक्टर
(फास्ट-ट्रेक) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2023.02.22 17:43:55 IST
Reason: SelfAttested